अध्याय-IV

वाहनों पर कर

अध्याय-IV: वाहनों पर कर

4.1 कर प्रशासन

राज्य में मोटर वाहन कर एवं फीस का आरोपण एवं संग्रहण झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (झा.मो.वा.क.) अधिनियम 2001, झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (झा.मो.वा.क.) नियमावली, 2001, मोटर वाहन (मो.वा.) अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन (के.मो.वा.) नियमावली,1989 एवं बिहार वित्तीय नियमावली (झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) के द्वारा शासित होता है।

झारखण्ड के परिवहन विभाग मोटर वाहन कर के आरोपण एवं संग्रहण के प्रति उत्तरदायी है। विभाग का मुख्य कार्य वाहनों का निबंधन प्रमाण पत्र, दुरुस्ती प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र, वाहनों के लिये स्थायी एवं स्थानीय अनुज्ञापत्र, व्यवसायियों का व्यापार प्रमाण पत्र एवं व्यक्तियों को ड्राइविंग/ कंडक्टर लाइसेंस निर्गत करना है।

विभाग के सचिव राज्य परिवहन प्राधिकारी होते हैं, जो परिवहन विभाग के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं तथा राज्य में अधिनियमों एवं नियमों को लागू कराने के प्रति उत्तरदायी हैं। राज्य परिवहन आयुक्त (रा.प.आ.), झारखण्ड परिवहन विभाग के कार्यपालक प्रमुख हैं एवं विभाग में अधिनियमों एवं नियमों के प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मुख्यालय में एक संयुक्त परिवहन आयुक्त (सं.प.आ.), और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (क्षे.प.प्रा.) राज्य के चार क्षेत्रों,[1] जिला परिवहन पदाधिकारी (जि.प.प.) एवं मोटर वाहन निरीक्षक (मो.वा.नि.) 24 परिवहन जिलों[2] में उनकी सहायतार्थ पदस्थापित रहते हैं। विभाग के प्रवर्तन स्कंध[3] और 10 चेक पोस्ट[4] मो.वा. अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत किये गये अपराधों के शमन हेतु शास्ति अधिरोपित करने एवं कर और अर्थदंड आरोपित करने के प्रति जिम्मेदार हैं।

---

1 दुमका, हजारीबाग, पलामू और राँची।

2 बोकारो, चाईबासा, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जामताड़ा, खूँटी (मार्च 2015 में अधिसूचित), कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, पाकुड़, रामगढ़(अप्रैल 2015 में अधिसूचित), राँची, साहिबगंज, सरायकेला-खरसाँवां और सिमडेगा।

3 परिवहन विभाग के आदेश सं 37, दिनांक 21.04.2015 द्वारा वापस।

4 बहरागोड़ा (पूर्वी सिंहभूम), बाँसजोर (सिमडेगा), चास मोड़ (बोकारो), चौपारण (हजारीबाग), चिरकुंडा (धनबाद), धुलियान (पाकुड़), गितीलिपी (चाईबासा), माँझाटोली (गुमला), मेघातरी (कोडरमा), और मुरीसेमर (गढ़वा)। अधिसूचना सं 374, दिनांक 12.06.2017 द्वारा वापस।

4.2 मानव संसाधन

विभाग के अधिकारियों और अन्य सहायक कर्मचारियों का स्वीकृत बल और कार्यरत बल की जनवरी 2018 में स्थिति **तालिका-4.1** में दर्शाया गया है।

तालिका-4.1

क्र.सं	पद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्तियाँ	रिक्तियों का प्रतिशत
1	जिला परिवहन पदाधिकारी	24	14	10	42
2	मोटर वाहन निरीक्षक	24	5	19	79
3	प्रवर्तन अधिकारी	6	0	6	100
4	प्रवर्तन निरीक्षक	6	0	6	100
5	प्रवर्तन अवर-निरीक्षक	7	0	7	100
6	चलन दस्ता	12	8	4	33
7	लिपिक	132	31	101	77
8	अनुसेवक	40	26	14	35
कुल		**251**	**84**	**167**	**67**

अधिकारियों (42 प्रतिशत) और सहायक कर्मचारियों (69 प्रतिशत) की भारी कमी ने परिवहन विभाग के प्रदर्शन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रमादी वाहन मालिकों से बकाया करों की वसूली नहीं हुई (पैरा संख्या 4.4 और 4.6) और पंजीकरण के दौरान वाहनों के दस्तावेजों की जाँच नहीं होने से कम करों का आरोपण हुआ (पैरा संख्या 4.5 और 4.9)। पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी अधिकारियों और कर्मचारियों की **निरंतर** कमी को इंगित किया गया था।

इन कमियों के कारण 10 जिलों में जिला प्रशासनिक पदाधिकारी, **जिला परिवहन पदाधिकारी** के अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्यरत थे। परिवहन विभाग ने कार्मिक, प्रशासनिक सुधार (का.प्र.सु.) और राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के माध्यम से झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (झा.क.च.आ.) को 100 लिपिकों के चयन के लिये माँगपत्र (अगस्त 2017) भेजा गया था। चयन की प्रक्रिया अब तक आरंभ नहीं हुई है।

11 **मो.वा.नि.** खुली भर्ती प्रतियोगिता के माध्यम से अभ्यर्थी की नियुक्ति (अप्रैल 2017) के लिये चुने गये थे, लेकिन प्रमाण पत्रों की जाँच के बाद उनके उम्मीदवारियों को विचाराधीन रखा गया और इस मामले को राज्य कानून विभाग के पास (जनवरी 2018) अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा गया।

2015 में, एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत विभाग ने अपनी प्रवर्तन **स्कंध** की कार्यप्रणाली का विश्लेषण करते हुए उसकी सेवाओं को वापस कर लिया था और जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की गयी पुलिस बल के साथ **जि.प.प.** में उनके कार्य और प्रभार/ जिम्मेदारियों को निहित कर दिया गया। 2013-14 और 2014-15 में प्रवर्तन **स्कंध** का राजस्व संग्रहण जो क्रमश: ₹ 26.67 करोड़ और ₹ 33.39 करोड़ था, इस

वैकल्पिक व्यवस्था के बाद वर्ष 2015-16 और 2016-17 में घटकर क्रमशः ₹ 6.66 करोड़ और ₹ 8 करोड़ हो गया।

4.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

2016-17 के दौरान, लेखापरीक्षा ने परिवहन विभाग की 27 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 18[5] इकाईयों (67 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की। वर्ष 2015-16 के दौरान विभाग द्वारा कुल ₹ 632.59 करोड़ राजस्व संग्रहित किया गया जिसमें से लेखापरीक्षित इकाईयों का संग्रहण ₹ 432.61 करोड़ (68 प्रतिशत) था। लेखापरीक्षा में करों का अनारोपण/ अल्पारोपण, बैठान क्षमता के गलत निर्धारण के कारण करों का अल्पारोपण, परिवहन वाहनों, ट्रेलरों, वैयक्तिक वाहनों आदि से देय करों की वसूली नहीं होने संबंधी ₹ 68.57 करोड़ राशि के 24,545 मामले उदघटित हुए, जैसा कि **तालिका-4.2** में दर्शाया गया है।

तालिका-4.2

क्र. सं	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	कुल आपत्तिग्रस्त राशि मे प्रतिशत अंश
1	करों का अनारोपण/ अल्पारोपण	8,755	50.48	73.62
2	ट्रेलरों से आरोपित कर का उदग्रहण नहीं होना	6,554	9.64	14.06
3	बैठान क्षमता के गलत निर्धारण से कम कर का उदग्रहण	819	1.57	2.29
4	अन्य मामले	8,417	6.88	10.03
कुल		**24,545**	**68.57**	

विभाग ने सभी लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और 254 मामलों में ₹ 88.06 लाख वसूल किये।

इस अध्याय में ₹ 60.94 करोड़ सन्निहित राशि के 15,254 मामलों की अनियमितताओं को वर्णित किया गया है। इनमें से कुछ अनियमितताओं को पिछले पाँच वर्षों के दौरान बारम्बार इंगित किया जाता रहा है, जैसा कि **तालिका-4.3** में वर्णित है।

तालिका-4.3

(₹ करोड़ में)

आपतियों के प्रकृति	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		कुल	
	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि
प्रमादियों से कर की वसूली न होना	2,975	12.60	4,204	18.97	4,868	18.75	7,177	32.00	5,417	16.23	24,641	98.55
वैयक्तिक वाहनों से एक-मुश्त कर की	-	-	3,495	8.27	1,081	2.24	1,513	4.05	428	1.12	6,517	15.68

[5] जि.प.प का कार्यालय, बोकारो, चाईबासा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, जमशेदपुर, जामताड़ा, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, राँची, साहिबगंज, सरायकेला-खरसाँवां और परिवहन आयुक्त राँची के कार्यालय।

तालिका-4.3

(₹ करोड़ में)

आपतियों के प्रकृति	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		कुल	
	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि
वसूली नहीं होना												
वाहनों के स्वामित्व की तिथि से कर का अनारोपण	-	-	163	0.41	41	0.11	-	-	576	1.09	780	1.61

अनुशंसा :

1. **विभाग प्रणाली स्वरूप मानदण्ड उपायों को आरंभ कर सकती हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लेखापरीक्षा द्वारा निरंतर उजागर किये गये त्रुटियों की पुनरावृत्ति न हो।**
2. **विभाग लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित की गई असंगृहीत/ कम वसूली संबंधी त्रुटियों मे सन्निहित बड़ी राशियों की वसूली तथा उनकी निगरानी सुनिश्चित करने के लिये अधिक प्रभावी उपाय आरंभ कर सकती है।**

4.4 प्रमादियों से करों का संग्रहण नहीं होना

मांग पत्र निर्गत नही होने, प्रवर्तन स्कंध की अपर्याप्त कार्य पद्धति और कमजोर आंतरिक नियंत्रणों के कारण 14,604 प्रमादी वाहनों से ₹ 57.73 करोड़ के कर और अर्थदण्ड की वसूली नहीं हुई।

झा.मो.वा.क. अधिनियम एवं झा.मो.वा.क. नियमावली के अनुसार पंजीकृत वाहनों के मालिक को देय विहित कर का अग्रिम भुगतान करना है। यदि भुगतान में 90 दिनों से अधिक की विलंब होती है तो कर के साथ देय करों की दोगुनी राशि का अर्थ-दण्ड अधिरोपित होता है। नियम अग्रेत्तर यह प्राधानित करता है कि प्रत्येक कराधान अधिकारी फॉर्म-एम में कर पंजी और पंजीकृत परिवहन वाहनों के लिए फॉर्म-एन में माँग, संग्रहण एवं बकाया (माँ.सं.ब.) पंजी का संधारण करे। कर प्रमादियों की पहचान के लिये माँ.सं.ब.पंजी को त्रैमासिक आधार पर अद्यतन किया जाना है। परिवहन विभाग के कम्प्यूटरीकरण के पश्चात, जब भी किसी वाहन से संबंधित कोई कार्य किया गया या हुआ, स्वचालित रूप से आँकड़े वाहन सॉफ्टवेयर में अद्यतन होते गये। पंजियों के अद्यतन की सुविधा के लिये, वाहन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को सिस्टम से प्रमादी सूची जनन करने में सक्षम है। जिला परिवहन पदाधिकारी (जि.प.प.) को प्रमादियों को मांग पत्र निर्गत करना है।

विगत 2011-12 से 2015-16 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रमादी वाहनों के 24,641 मालिकों से कर और अर्थदण्ड के वसूली नहीं होने के कारण ₹ 98.55 करोड़ की निरन्तर सरकारी राजस्व की हुई हानि पर प्रकाश डाला गया था। इस संबंध में विभाग के आश्वासन (मई 2016) का मूल्यांकन करने के लिये, वर्ष 2016-17 के

दौरान 17 जिलों के परिवहन कार्यालयों[6] के अभिलेखों का नमूना जाँच किया गया। तथापि, यह देखा गया (जून 2016 और मार्च 2017 के मध्य) कि 44,928 परिवहन (वाणिज्यिक) वाहनों में से 14,604 वाहनों का नमूना लेखापरीक्षा किया गया और पाया कि पंजीकृत मालिकों ने जनवरी 2011 और मार्च 2017 के मध्य देय अग्रिम कर जमा नहीं किया था। आगे यह देखा गया कि जि.प.प, जो मांग पत्र निर्गत करने के लिये ज़िम्मेदार हैं, न ही वाहन सॉफ्टवेयर से प्रमादी की सूची जनित किया और माँ.सं.ब. पंजी को अद्यतन किया और न ही कोई बकाया कर सृजित किया। राज्य परिवहन आयुक्त (रा.प.आ.) और संयुक्त परिवहन आयुक्त (सं.प.आ.) ने प्रमादियों से करों की प्राप्ति के लिये परिवहन कार्यालयों के कामकाज की आवश्यक अनुश्रवण भी नहीं किया। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा प्रवर्तन **स्कंध**, जो सड़कों पर चलने वाले प्रमादी वाहनों की जाँच करते थे, को बंद करने, कर्मचारियों की भारी कमी और मो.वा.नि. की नियुक्ति नहीं होने के परिणामस्वरूप प्रमादी वाहनों में वृद्धि हुई। इस प्रकार, विभाग 14,604 वाहनों से ₹ 38.49 करोड़ के अर्थदंड सहित ₹ 57.73 करोड़ के राजस्व का वसूली नहीं कर पाया।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017) कि आठ जि.प.प[7] ने 221 मामलों में ₹ 79.43 लाख की वसूली कर ली गयी और बकाये कर की वसूली के लिये शेष प्रमादियों को मांग पत्र निर्गत कर दिये गये। बहिर्गमन सम्मेलन (फरवरी 2018) में सचिव ने कहा कि जि.प.प. को एक प्रणाली विकसित करने का निर्देश दिया जाएगा ताकि वाहन मालिकों को समय-समय पर ई-मेल/ एसएमएस/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से मांग पत्र भेजा जा सके। पंजीकरण प्रमाणपत्र (आर.सी.) में मौजूद चिप्स में वाहनों की जानकारी पढ़ने के लिये प्रवर्तन **स्कंध** को कार्ड रीडर प्रदान किया जाएगा। यह भी कहा गया कि प्रमादियों से कर की प्राप्ति के लिये राज्यव्यापी विशेष अभियान संचालित किया जाएगा।

विभाग अपने आश्वासन पूरी करने में कहाँ तक सफल हुआ, उसकी जाँच अगली लेखापरीक्षा में की जाएगी।

---

6 बोकारो, चाईबासा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, जमशेदपुर, जामताड़ा, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, राँची, साहिबगंज और सरायकेला-खरसाँवां ।

7 गिरिडीह, जमशेदपुर, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, राँची और साहिबगंज।

4.5 वाहनों के कम पंजीकृत लदान क्षमता में पंजीकरण के कारण करों का अल्पारोपण

वाहन सॉफ्टवेयर में इनपुट नियंत्रण की कमी के कारण वाहनों के आर.एल.डब्ल्यू की प्रविष्टि हुई जिसके परिणामस्वरूप केवल एक जि.प.प में ₹ 1.15 करोड़ के कम करों का आरोपण हुआ।

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 यह निर्धारित करता है कि बहु-धुरीय वाहन समेत सभी वाहनों का अधिकतम सकल पंजीकृत भार/ पंजीकृत लदान भार (स.ला.भा./ पं.ल.भा.) एक साथ रखे गये सुरक्षित अधिकतम धुरी भारों की कुल योग से अधिक नहीं होगा। अग्रेत्तर, झा.मो.वा.क. अधिनियम 2001 के अंतर्गत वाहनों के मालिकों को अधिनियम के अनुच्छेद I और II में उल्लेखित निर्धारित दरों पर पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर का भुगतान करना है। माल वाहनों पर करों की गणना के लिये पं.ल.भा. आधार है। विभाग का कम्प्यूटरीकरण योजना यह निर्धारित करता है कि वाहन सॉफ्टवेयर में अधिनियम/ नियमों के प्रावधानों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करने के लिये एक परियोजना अनुश्रवण इकाई (पीएमयू) का गठन हो।

18 परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, जि.प.का., हजारीबाग में यह देखा गया कि 99,999 कि.ग्रा के पं.ल.भा. वाले 2,987 वाहनों में से 40 रियर डंपर्स/ मोटर ग्रेडर माल वाहनों के रूप में पंजीकृत किये गये थे और तदनुसार करों का आरोपण किया जा रहा था। हालांकि, फॉर्म-24[8] की जाँच करने पर यह पाया गया कि सामने और पीछे प्रत्येक धुरियों के भार 81,680 कि.ग्रा थे, और उनके कुल योग भार 1,63,360 कि.ग्रा. थे। यह अनियमितता वाहन सॉफ्टवेयर में विद्यमान त्रुटि के कारण घटित हुई, जो पं.ल.भा. से संबंधित फील्ड में अधिकतम पाँच अंकों की प्रविष्टि को ही स्वीकार कर सकता था। इस प्रकार, जि.प.प के साथ-साथ रा.प.आ/ सं.प.आ और विभाग इस प्रकार की त्रुटियों से अनभिज्ञ थे और त्रुटि को सुधारने में असफल हुये, जिसके कारण ₹ 2.90 करोड़ के बदले ₹ 1.75 करोड़ के करों का आरोपण हुआ, परिणामस्वरूप ₹ 1.15 करोड़ के करों का अल्पारोपण हुआ।

बहिर्गमन सम्मेलन (फरवरी 2018) में परिवहन विभाग के सचिव ने कहा कि वाहन मालिकों को मांग पत्र निर्गत किये जा चुके हैं। जि.प.प, हजारीबाग को बकाया कर की वसूली करने के लिये आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यह दोहराया गया कि सभी जि.प.प को वाहन सॉफ्टवेयर में दर्ज पं.ल.भा. की जाँच और प्रमाणित करने के लिये निर्देशित किया जाएगा और खनन कंपनियों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिये बैठकें आयोजित किया जायगा कि खनन क्षेत्र में चल रहे सभी वाहन निबंधित कर लिए गये हैं।

[8] फॉर्म 24 पंजीकृत मोटर वाहनों का स्थायी रजिस्टर है, जहां सभी विवरण जैसे, वाहन के मालिक, विनिर्देश आदि दर्ज रहते हैं।

अगली लेखापरीक्षा के दौरान आगे की प्रगति की जाँच की जाएगी।

4.6 वैयक्तिक वाहनों पर एकमुश्त कर की वसूली नहीं होना

मांग पत्र निर्गत नहीं करने और प्रवर्तन स्कंध की अपर्याप्त कार्यशीलता के कारण वैयक्तिक वाहनों से वार्षिक/ एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड/ ब्याज की वसूली नहीं हुई।

झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 मोटर कार, ओमनी बस या स्टेशन वैगन, जिसकी बैठान क्षमता चालक सहित चार से अधिक लेकिन 10 से अधिक नहीं है तथा जिसका उपयोग केवल निजी उद्देश्य के लिये किया जाता है, को "वैयक्तिक वाहन" के रूप में परिभाषित करता है। बैठान क्षमता और वाहन की उम्र के आधार पर वाहन की लागत मूल्य पर एक-मुश्त कर[9] का आरोपण होता है तथा विलंब से भुगतान पर एक-मुश्त कर का दो प्रतिशत की दर से ब्याज प्रति माह वसूलनीय है। जि.प.प. द्वारा वाहन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रजिस्टरों की समीक्षा और वैयक्तिक वाहनों के विरुद्ध वैसे वाहनों पर, जो संशोधन के पश्चात वैयक्तिक वाहन की श्रेणी में आ गये थे, मांग-पत्र निर्गत करते हुये बकाये एक-मुश्त कर की मांग की जानी थी।

2012-13 से 2015-16 की पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में जि.प.प. द्वारा ऑनलाइन कर पंजी की समीक्षा और मांग पत्र जारी करने की विफलता के कारण 6,517 वैयक्तिक वाहनों पर एक-मुश्त कर और अर्थदंड आरोपण/ संग्रहण नहीं होने के कारण ₹ 15.68 करोड़ की निरन्तर सरकारी राजस्व के हानि पर प्रकाश डाला गया था। विभाग द्वारा बकाया कर (मई 2016) की वसूली पर दिये गये आश्वासन कि प्रमादियों की पहचान कर वसूली हेतू विशेष अभियान चलाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी, के मूल्यांकन के लिये लेखापरीक्षा ने सात जि.प.का.[10] के अभिलेखों की जाँच की (अगस्त 2016 और मार्च 2017 के मध्य) और पाया कि 312 वाहनों (जाँच किये गए 1,435 वैयक्तिक वाहनों में से), जिनकी वार्षिक कर वैधता मई 2005 और दिसंबर 2016 के मध्य समाप्त हो गये थे, मांग पत्र निर्गत करने में जि.प.प. असफल रहे। परिणामस्वरूप, विभाग संशोधन पूर्व अवधि के लिए ₹ 16.01 लाख का अर्थदण्ड एवं कर, ₹ 38.01 लाख एक-मुश्त कर और ₹ 45.85 लाख (मार्च 2017 तक) ब्याज को वसूली करने में असफल रहा।

यह स्पष्ट है कि विभाग अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई नहीं कर पाया, तथा इस संबंध में रा.प.आ./ सं.प.आ. ने परिवहन कार्यालयों के कामकाज का अनुश्रवण नहीं किया। विभाग सड़कों पर चलने वाले प्रमादी वाहनों की जाँच के लिये जिम्मेदार

---

9 वैयक्तिक वाहन, जिसमें 3 से अधिक लोगों की बैठने की क्षमता लेकिन 5 से अधिक व्यक्ति नहीं; 5 से अधिक व्यक्ति लेकिन 8 से अधिक व्यक्ति नहीं और 8 से अधिक लेकिन 10 से अधिक व्यक्ति नहीं हैं, के लिये कर क्रमश: ₹ 9000/ या वाहन की लागत का 3%; ₹ 20,000/- या वाहन की लागत का 4% और ₹ 25,000/- या वाहन की लागत का 5% जो अधिक हो, देय है।

10 बोकारो, गोड्डा, जामताड़ा, कोडरमा, पाकुड़, पलामू और साहिबगंज।

प्रवर्तन स्कन्ध की अनुपस्थिति में ऐसे वाहनों के मालिकों की नियमित रूप से जाँच कर दंडित नहीं कर पाया एवं सड़कों पर चलने वाले वाहनों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण नहीं कर सका। परिवहन कार्यालयों, जिनमें पहले से ही अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी थी, प्रवर्तन स्कन्ध को अतिरिक्त ज़िम्मेदारी के साथ उनमें निहित कर दिये गये। इस प्रकार, विभाग न केवल राजस्व की वसूली करने में असफल रहा, बल्कि सड़कों पर चल रहे इन वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण भी नहीं लगा सका।

बहिर्गमन सम्मेलन (फरवरी 2018) के दौरान, परिवहन विभाग के सचिव ने कहा कि जि.प.प. को कर प्रमादियों की पहचान करने और उनसे बकाया कर की वसूली करने के लिये निर्देशित किया जाएगा। कर प्रमादियों से कर की वसूली के लिए एक राज्यव्यापी विशेष अभियान भी आयोजित किया जाएगा।

आगे की प्रगति की जाँच अगली लेखापरीक्षा के दौरान की जाएगी।

4.7 पारस्परिक समझौतों के तहत चलने वाले अन्तरराज्यीय वाहनों से कर एवं अर्थदण्ड का वसूली नहीं होना

वाहन डाटाबेस में पारस्परिक समझौते के तहत चल रहे अंतरराज्यीय वाहनों के डाटा को निगमित करने में विभाग असफल रहा, और परिवहन आयुक्त ऐसे वाहनों के विरुद्ध की समीक्षा कर मांग पत्र निर्गत करने में असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप कर एवं अर्थदण्ड की वसूली नहीं हुई।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार में जनवरी 2003 और सितंबर 2008 के मध्य ओडिसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के साथ हुये पारस्परिक समझौतों[11] के तहत, एक राज्य में पंजीकृत परिवहन वाहन, लेकिन अन्य दूसरे राज्य में हो रहे परिचालन पर उस राज्य के सभी देय कर उन पर आरोप्य होंगे।

परिवहन आयुक्त कार्यालयों के अभिलेखों[12] की नमूना जाँच (जनवरी 2017) में पता चला कि 230 वाहनों में से 50 वाहन अन्य राज्यों[13] में पंजीकृत जुलाई 2014 और जनवरी 2017 के मध्य देय करों का भुगतान किये बिना पारस्परिक समझौतों के तहत चल रहे थे। परिवहन आयुक्त, जिन्हें पारस्परिक समझौते के तहत निर्गत परमिट को नियंत्रित करने का कार्य सौंपा गया है, प्रासंगिक पंजी मांग का सृजन, अर्थदंड आरोपित करने/ और प्रमादियों के परमिट रद्द समीक्षा करने में विफल रहे। इस प्रकार, विभाग वाहन डाटाबेस में पारस्परिक समझौतों के तहत परिचालित ऐसे

[11] ऐसे समझौतों के तहत, अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों को राज्य के अन्दर परिचालन करने के लिये कुछ नियम और शर्तों के अधीन एक राज्य के रा.प.आ. परमिट प्रदान करते हैं ।

[12] कराधान रजिस्टर, पारस्परिक समझौतों के तहत चल रहे अन्य राज्यों के वाहनों द्वारा चुकाए गये करों का ब्योरा दिखाते हैं।

[13] बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिसा और पश्चिम बंगाल।

वाहनों के डाटा को समाविष्ट करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, विभाग ₹ 18.78 लाख का कर और ₹ 37.56 लाख के अर्थदण्ड की वसूली करने में असफल रहा।

बहिर्गमन सम्मेलन (फरवरी 2018) में, परिवहन विभाग के सचिव ने कहा कि वाहन डाटाबेस में इन वाहनों के डाटा को समाविष्ट करने तथा कर एवं बकाया की ऑनलाइन संग्रहण के लिये आवश्यक कार्रवाई शुरू किया गया है।

आगे की प्रगति की जाँच अगली लेखापरीक्षा के दौरान की जाएगी।

4.8 वाहनों के स्वामित्व की तिथि से कर का आरोपण नहीं

वाहन सॉफ्टवेयर में विद्यमान त्रुटि, अनिवार्य डीलर पॉइंट पंजीकरण को पूर्णत: लागू करने में विभाग की विफलता तथा वाहन के स्वामित्व की तिथि से कर भुगतान सुनिश्चित करने में जि.प.प की विफलता के कारण कर एवं अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

झा.मो.वा.क. नियम, 2001 निर्धारित करता है कि जब पूर्व में कर का कोई भुगतान नहीं हुआ हो, वाहन के स्वामित्व की तिथि या विधि द्वारा कर अधिरोपित किये जाने की तिथि कर भुगतान की देय तिथि होगी। अग्रेत्तर, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 यह निर्धारित करता है कि कोई भी व्यापार प्रमाण पत्र धारक बिना पंजीकरण, भले ही अस्थायी अथवा स्थायी हो, के खरीदार को मोटर वाहन सुपुर्द नहीं करेगा तथा पंजीकरण के लिये आवेदन वाहन के सुपुर्दगी के सात दिनों के अन्दर किया जाना है। समय पर करों का भुगतान न करने से देय कर के 25 से 200 प्रतिशत तक की दर से अर्थदण्ड प्रभारित होता है।

2012-13 से 2015-16 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में परिवहन वाहनों के स्वामित्व की तिथि से कर की वसूली नहीं होने से ₹ 1.61 करोड़ की सरकारी राजस्व के निरन्तर हानि पर प्रकाश डाला गया था। इस संबंध में विभाग द्वारा दिये आश्वासन का मूल्यांकन करने के लिये, साहिबगंज और सरायकेला-खरसाँवां के जिला परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच (सितंबर और अक्टूबर 2016 के मध्य) की गयी और पाया कि 188 वाहनों (नमूना जाँच किये गए 907 वाहनों में से) के मालिकों ने तीन से 50 महीने तक की विलम्ब के साथ पंजीकरण के लिये आवेदन किया था। पंजीकरण प्राधिकारियों ने विक्रय प्रमाण पत्रों की जाँच नहीं की एवं पंजीकरण की तारीख से कर आरोपित किया और वाहनों के स्वामित्व की तारीख से कर अंकित करने के लिये वाहन सॉफ्टवेयर में भी अभिकल्पित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि अनिवार्य डीलर पॉइंट पंजीकरण झारखण्ड में केवल आंशिक रूप से लागू किया गया था, फलत: वाहन मालिक वाहनों को पंजीकरण और कर भुगतान के बिना ही परिचालित करने में समर्थ हुये। फलस्वरुप, विभाग ₹ 12.06 लाख कर की वसूली और ₹ 24.12 लाख का अर्थदण्ड आरोपित करने में विफल रहा।

बहिर्गमन सम्मेलन (फरवरी 2018) में, परिवहन विभाग के सचिव ने कहा कि *वाहन* सॉफ्टवेयर में आवश्यक सुधार कर लिया गया है और अब पंजीकरण की तारीख के बजाय वाहनों के स्वामित्व की तारीख से कर का आरोपण किया जा रहा है।

अगली लेखापरीक्षा के दौरान आगे अनुपालन प्रगति की जाँच की जाएगी।

4.9 एम्बुलेंसों का गलत वर्गीकरण के कारण कर का कम आरोपण

वाहन सॉफ्टवेयर में अधिनियमों/ नियमों के अनुचित मानचित्रण के कारण एम्बुलेंसों का पंजीकरण परिवहन वाहनों के बजाय वैयक्तिक वाहनों के रूप में हुआ जिसके फलस्वरुप करों का कम आरोपण हुआ।

भारत सरकार ने एम्बुलेंसों को परिवहन वाहनों के रूप में वर्गीकृत (सितंबर 1992) किया है। मो.वा. अधिनियम 1988 के संदर्भ में, परिवहन वाहनों के लिये दुरुस्ती प्रमाणपत्र वार्षिक रूप से प्राप्त करना और गैर-परिवहन वाहन के लिये 15 वर्षों में एक बार प्राप्त किया जाना आवश्यक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एम.ओ.आर.टी.एच.), भारत सरकार (8 सितंबर 2016) सड़क एम्बुलेंस को विशेष रूप से सुसज्जित और कार्यपारिस्थितिकी रूप से डिजाइन किये गये वाहन के रूप में परिभाषित करता है जो बीमार या घायल लोगों को, पारगमन या जब रुका हो, के दौरान अस्पताल से बाह्य आकस्मिक उपचार व चिकित्सीय देखभाल, उचित तरीके से स्तरित कर्मचारियों द्वारा देखभाल किया जाता हो। इन प्रावधानों की संपुष्टि के लिये, एम्बुलेंस के पंजीकरण के दौरान वाहन के बनावट और मॉडल का सत्यापन तकनीकी विशेषज्ञ, मोटर वाहन निरीक्षक (मो.वा.नि.) और उसमें स्थापित चिकित्सा उपकरण का सत्यापन उचित प्राधिकारी द्वारा किया जाना है। एक बार वाहन को एम्बुलेंस के रूप में प्रमाणित किया जाता है, इसे कराधान और दुरुस्ती उद्देश्यों के लिए परिवहन वाहन के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये।

वाहन डंप डाटा की जाँच से पता चला कि राज्य में 2015-2016 तक 1 से 42 तक बैठान क्षमता वाले 1,954 वाहनों को एम्बुलेंसों के रूप में पंजीकृत किया गया था। इन एम्बुलेंसों में से 1,730 को परिवहन वाहनों (यात्री के रूप में 1,722 और माल वाहनों के रूप में 8) के रूप और 224 को गैर-परिवहन (निजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

छह जिला परिवहन कार्यालयों[14] के अभिलेखों की नमूना जाँच (सितंबर और अक्टूबर 2016 के मध्य) और तदनुसार वाहन डाटाबेस के साथ तुलना में उपरोक्त तथ्यों का सत्यापन किया गया तथा यह पता चला कि 60 वाहनों (जाँच किये गए 268 वाहनों में से) का पंजीकरण एम्बुलेंस के रूप में किये गये थे यद्यपि वे गैर-परिवहन वाहन के रूप में वर्गीकृत थे, जिसके फलस्वरुप ₹ 13.86 लाख कम कर का आरोपण हुआ।

[14] बोकारो, देवघर, धनबाद, पाकुड, पलामू और राँची।

आगे, गैर-परिवहन वाहनों, मो.वा.नि और तकनीकी/ चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा एम्बुलेंसों के रूप में कार्य करने की दुरुस्ती और उपयुक्तता को सत्यापित करने के लिए परीक्षण के अधीन नहीं थे। यह भी देखा गया कि विभाग ने विभिन्न प्रकार के एम्बुलेंसों के लिए विनिर्देश तैयार नहीं किये थे, और इन वाहनों पर केवल बैठान क्षमता के आधार पर कर लगाया गया।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2017)।

अनुशंसा:

1. **विभाग यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वाहन डाटाबेस में एम्बुलेंस के रूप में पंजीकृत सभी वाहनों को परिवहन वाहनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और करारोपण और परीक्षण उचित रूप से किया गया है।**
2. **विभाग विभिन्न प्रकार के एम्बुलेंस के लिये विनिर्देश बनाये और उचित रूप से उन पर करारोपण करे।**

लेखापरीक्षा का प्रभाव

- विभाग ने (फरवरी 2018) इस अध्याय में चित्रित ₹ 60.94 करोड़ में से ₹ 88.06 लाख की वसूली की सूचना दी है।
- वाहन के स्वामित्व के बजाए पंजीकरण की तिथि से करारोपण, आर.एल.डब्ल्यू. क्षेत्र (फील्ड) के इनपुट नियंत्रण की कमी संबंधी वाहन सॉफ्टवेयर की त्रुटि में सुधार कर दिया गया है, और पारस्परिक समझौतों के तहत अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों के कर के भुगतान के लिये सॉफ्टवेयर में सम्मिलित कर दिया गया है।